भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II खंड 3 के उप खंड (ii) में प्रकाशन के लिए

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली

19 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

सा. आ...... जबकि मैसर्स स्पाइसजेट बॉम्बार्डियर Q400 विमान VT-SUE दिनांक 17.09.2016 को तिरुपति हवाई अड्डे पर गंभीर घटना का शिकार हो गया था ।

और जबकि, केन्द्रीय सरकार को प्रतीत होता है कि उक्त गम्भीर घटना के कारणों और अंशदायी कारकों का अन्वेषण और निर्धारण किया जाना, और भविष्य में ऐसी गम्भीर घटना की पुनरावृति से बचने के लिए सिफारिशें करना समीचीन है।

अब, वायुयान (दुर्घटनाओं एवं घटनाओं का अन्वेषण) नियमावली, 2012 के नियम 11 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा इस गंभीर घटना की औपचारिक जांच का निदेश देती है।

तदनुसार, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा श्री राजे भटनागर, सहायक निदेशक, एएआईबी की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्य के साथ एक जांच समिति नियुक्त करती है:-

(i) डॉ जितेंद्र लोढ़ा, सहायक निदेशक, एएआईबी सदस्य

समिति, जब भी अपेक्षित होगा, अन्य विशेषज्ञों/एजेंसियों की सहायता भी लेगी।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

समिति अधिमानतः छह महीने के भीतर इसकी जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(बी एस भुल्लर)
अपर सचिव, भारत सरकार

सं.एवी-15013/8/2016-डीजी

सेवा में

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी
बाहरी रिंग रोड, नई दिल्ली

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3 SUB-SECTION (ii) OF THE EXTRAORDINARY GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CIVIL AVIATION
RAJIV GANDHI BHAWAN, NEW DELHI

19 October, 2016

NOTIFICATION

S.O.... Whereas M/s SpiceJet Bombardier Q400 aircraft VT-SUE was involved in a serious incident at Tirupati Airport on 17.09.2016.

And whereas, it appears to the Central Government that it is expedient to investigate and determine the causes and contributory factors leading to the said serious incident and make recommendations to avoid recurrence of such serious incidents in future.

Now, in the exercise of the powers conferred by the Rules 11(1) of the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2012, the Central Government hereby directs that a formal inquiry in the serious incident be made.

Accordingly, the Central Government hereby appoints a Committee of Inquiry headed by Sh. Raje Bhatnagar, Assistant Director, AAIB with following member:

(i) Dr. Jitender Loura, Assistant Director, AAIB as member

The committee will also take the assistance of other experts/agencies whenever required.

The headquarters of the Committee will be at New Delhi.

The Committee will complete its inquiry and submit its report to the Central Government preferably within six months.

(B. S. Bhullar)
Additional Secretary to Govt. of India

No. AV- 15013/8/2016-DG

To,

The Manager,
Govt. of India Press, Mayapuri
Outer Ring Road, New Delhi